न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—43 / 2020 / 223 (2020 / 00043)

1. दरियावनाथ पुत्र रामचन्द्र, जाति जोगी, निवासी ग्राम गेहलपुर, तह0 अंराई जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, अंराई, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अंराई, दिनांक 9.5.2018 अंतर्गत वाद संख्या 182 / 2010.

उपस्थितः—

1. श्री रामदेव गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः—

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अंराई के निर्णय दिनांक 9.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. अपीलांट / वादी ने अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट / वादी ग्राम गेहलपुर, तहसील अंराई के आराजी खसरा नंबर 377 / 2 रकबा 98 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा भूमि पर निरन्तर बिना बाधा के 25—30 वर्षो से काबिज काश्त करता आ रहा है। उक्त आराजी के अलावा अपीलांट के पास खातेदारी की भूमि नहीं है अर्थात अपीलांट भूमिहीन काश्तकार है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियमों व प्रावधानों के अंतर्गत एक अभिधारी की श्रेणी में है । चूंकि प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर वर्षो से कब्जा होने से दिनांक 14.2.2008 राजस्व कैम्प सिरोंज में आवंटन कमेटी द्वारा परगना अधिकारी के सानिध्य में ग्राम गेहलपुर में आराजी खसरा नंबर 377 / 2 रकबा 98 बीघा 10 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि का अपीलांट के पक्ष में आवंटन कर मौके पर कब्जे अनुसार अपीलांट को आवंटन कर दी तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा अथाह आर्थिक व शारीरिक परिश्रम कर चौतरफा डोल एवं फसल सिंचाई के लिये चाह का निर्माण कर वर्णित आराजी में सतत् रूप से काबिज काश्त होकर अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है । रेस्पो0 का दायित्व था कि आवंटन का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना

चाहिये था परन्तु राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं करने से अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 का प्रस्तुत किया, जो अपीलाधीन आदेश के समय तनकीयात के स्तर पर था परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा बिना पत्रावली का अवलोकन किये कैम्प कोर्ट सिरोंज दिनांक 9.5.2018 को अपीलांट/वादी का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस अपीलाधीन निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम व रिकार्ड तथा प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें वादी/अपीलांट के पक्ष में किये गये आवंटन बाबत् स्वीकारोक्ति प्रदान की गई थी । अधी0न्याया0 ने जवाब प्रस्तुत होने के उपरांत वाद में तनकीयात कायम किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत होने के उपरांत न्यायालय द्वारा विवाद्यक विरचित करने के पश्चात् विधि सम्वत् रूप से उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर प्रकरण का अंतिम निर्णय किया जाना आवश्यक है जो विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 द्वारा कैम्प कोर्ट सिरोंज में बिना किसी विधिक बिन्दुओं का निस्तारण किये बिना अपीलांट का वाद खारिज कर दिया एवं आदेशिका में गलत अंकन किया गया कि मजमे आम में पक्षकारों को सुना गया जबकि वादी के अधिवक्ता कोर्ट कैम्प में उपस्थित ही नहीं हुए थे न ही पक्षकार । अधी0न्याया0 ने केवल मात्र विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन पेटा मानते हुए वाद खारिज किया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांट विवादित आराजी पर शांतिपूर्ण काबिज काश्त चला आ रहा है । अपीलांट के पास अन्य कोई भूमि नही है । अप्रार्थी द्वारा आवंटन की गई भूमि का अधिकार अभिलेख में इंद्राज नही किया गया एवं मौके पर संपूर्ण रकबे में से 10 बीघा भूमि की राजस्व ट्रेस में तरमीम नहीं की गई जबकि मौके पर अपीलांट का लगातार कब्जा काश्त है । अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष यह भी दर्शित कर दिया गया था कि अपीलांट के साथ जिन अन्य व्यक्तियों को भूमि आवंटन की गई थी उनके खातेदारी में इद्रांज की जा चुकी है जिनमें से ग्राम गेहलपुर के खसरा नंबर 377/3 जो चांदकंवर पत्नि विशालसिंह, खसरा नंबर 377/4 अजीज वल्द अब्दुल रहमान, खसरा नंबर 377/5 हाजरा बेवा अब्दुल रहमान, खसरा नंबर 377/6 देवकरण, रिद्धकरण, रूपचंद पुत्रगण तेजू गुर्जर, खसरा नंबर 377/7 गणेश वल्द छीतर तथा 377/8 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गहलपुर की खातेदारी में दर्ज हुई है । अपीालंट ने अधी0न्याया0 के समक्ष आवंटन से पूर्व कब्जे काश्त के संबंध में पी–14 एवं धारा 91 के नोटिस पेश किये थे जिससे अपीलांट का विवादित भूमि पर आवंटन से पूर्व एवं आवंटन के कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है किन्तु अधी0न्याया0 ने इन सभी दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.4.2001 क्र0पं0 6 (42)राज06/2001 पृष्ठ संख्या द्वितीय पेश कर निवेदन किया कि गैर मुमकिन भूमियां भी मौके पर काश्त के रूप में काम आ रही हो तो आवंटन की जा सकती है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2001 पज 356,

आर0आर0टी0 2018 (1) पेज 285, धारा 5 मियाद अधि0 के संबंध में आर0बी0जे0 1997, डी0एन0जे0 2014 (3) पेज 1136, 523 एवं आर0बी0जे0 2017 पेज 377 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट गरीब काश्तकार है जिसे समय–समय पर कमाने–खाने हेतु बाहर जाना पड़ता है जिससे अपीलाधीन निर्णय की समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । अपीलाधीन निर्णय के समय अपीलांट बाहर गया हुआ था जिससे वे अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर पाये थे । दिनांक 7.2.2020 को आवंटनशुदा भूमि को विकसित करने व चाह को विकसित करने का कार्य करने पर रेस्पो0 द्वारा मदालखत उत्पन्न किये जाने पर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई जिस पर दिनांक 7.2.2020 को अधी0न्याया0 से प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया एवं दिनांक 10.2.2020 को आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 पेटा है जो प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आने से ऐसी भूमियों की खातेदारी दिये जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वादी का वाद निरस्त किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी पर अपीलांट का वर्षो से कब्जा होने काश्त होने के आधार पर दिनांक 14.2.2008 राजस्व कैम्प सिरोंज में आवंटन कमेटी द्वारा ग्राम गेहलपुर में आराजी खसरा नंबर 377/2 रकबा 98 बीघा 10 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि का अपीलांट के पक्ष में आवंटन की जाकर कब्जा सौंपा गया था तब से विवादित आराजी पर अपीलांट काबिज काश्त है । किन्तु उक्त आवंटन का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया गया इस कारण यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली का अवलोकन किया गया । विवादित आराजी खसरा नंबर 377/2 भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 पेटा तालाब अंकित है । यह सही है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 377/2 में से 10 बीघा भूमि का आवंटन अपीलांट को दिनांक 14.2.2008 को किया गया है किन्तु खसरा परिवर्तनशील में उक्त आवंटन का इंद्राज अस्थाई आवंटन के रूप में किया जाकर सन् 2008 से 2012 तक अंकित किया हुआ है जो कि सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने के संबधं में रिकार्ड है। विवादित आराजी की किस्म गै0मु0 पेटा है जो प्रतिबंधित की श्रेणी में होने से ऐसी भूमि बाबत् खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का प्रावधान नियमों में नहीं है । इस संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष उचित है । विवादित आराजी की किस्म गै0मु0 पेटा होने से अपीलांट/वादी खातेदारी प्राप्त करने का विधिक

अधिकारी नहीं है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.5.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर